समाहरणालय, सुपौल

(जिला कल्याण शाखा)

छात्रावास में आवासन हेतु नामांकन की सूचना

सुपौल जिला अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के बालकों के लिए संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास बी0एस0एस0 कॉलेज सुपौल एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास हरदी, सुपौल में नामांकन की प्रक्रिया की जानी है।

जिसकी विवरणी निम्नरूपेन है:–

क्र0 सं0	छात्रावास का नाम	स्वीकृत बल	वर्तमान में नामांकित छात्रों की सं0	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास बी0एस0एस0 कॉलेज सुपौल	100	67	33	
2	जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास हरदी, सुपौल	100	48	52	

- जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निःशुल्क आवासन, बिजली, शुद्ध पेयजल, मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना के अर्न्तगत प्रति माह 2000–रूपया अनुदान राशि तथा मुख्यमंत्री छात्रावास खाद्यान्न अन्तर्गत प्रति माह 15 कि0लो0 अनाज (06 किलो गेहूँ एवं 09 किलो चावल) उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
- नामांकन हेतु छात्रों का आवेदन **Online Portal (https://bcebconline. bihar.gov. in/cay/Default. aspx)** के माध्यम से लिया जाऐगा।
- प्राप्त आवेदन की समीक्षा कर मेधा सूची के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा कार्रवाई की जाएगीं।

नामांकन की शर्तें :–

1– बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।

2– आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र हो।

3– सुपौल जिला अंतर्गत किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकित हो।

4– अर्हत्ता प्राप्त आवेदकों में उच्च प्राप्तांक वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।

5– जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में सभी 100 आसन अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित रहेगा। जिसमें पाँच प्रतिशत आसन अति पिछड़ा वर्ग में दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षित रहेगा। अति पिछड़ा वर्ग के छात्र नहीं मिलने पर पिछड़ा वर्ग के छात्रों का नामांकन लिया जा सकेगा।

6– अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास में 100 छात्रों के आवासन की क्षमता होगी, जिसमें कुल आसन का 40 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग एवं 60 प्रतिशत अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित रहेगा। जिसमें पाँच प्रतिशत आसन अन्य पिछडा वर्ग में दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षित रहेगा। पिछड़ा वर्ग के छात्र नहीं मिलने पर अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों का एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र नहीं मिलन पर पिछड़ा वर्ग के छात्रों का नामांकन लिया जा सकेगा।

आवेदन की प्रक्रिया एवं तिथि :–

1. आवेदक विभागीय ऑनलाईन पोर्टल (https://bcebconline. bihar.gov.in/ cay/Default.aspx) पर विज्ञापन प्रकाशन के तिथि से अगले 15 दिनों तक आवेदन कर सकते हैं।

नोट:–आवेदन के साथ स्वअभिप्रमाणित निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। 1. शैक्षणीक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र। 2. जाति, आवास एवं आय प्रमाण–पत्र। 3. आधार कार्ड 4. बैंक खाता आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित। 5.दो पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो। 6. मोबाईल नंबर।

विस्तृत जानकारी विभाग के वेबसाईट bcebconline.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,सुपौल

PR- 005223 (Welfare) 2026-27

विस्तृत सूचना **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार